संख्या-27 /2022/ I/207775/2022 /001-71-4099-1728-2019

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

कुलसचिव,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 01 सितंबर, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 से विश्वविद्यालय के अन्तर्गत निर्माणाधीन 500 बेडेड सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक परिसर में श्रेणी-05 के 100 आवासों के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1052/ई/यूपीयूएमएस/एफएण्डए(103)/2022-23 दिनांक 27.07.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय , सैफई, इटावा के अन्तर्गत निर्माणाधीन 500 बेडेड सुपरस्पेशिलिटी ब्लॉक परिसर में श्रेणी-05 के 100 आवासों के निर्माण हेतु अनुमोदित लागत रू0 8405.63 लाख के सापेक्ष अब तक विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से कुल रू० 5556.85 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, जिसका विवरण निम्नवत् है -:

	शासनादेश संख्या व दिनांक	अनुदान संख्या-31 (रू0 लाख में)	अनुदान संख्या-83 (रू0 लाख में)
1	2016/09/71-2-17-एस-5/2015 दिनांक 03.01.2017	2763.25	-
2	13/2019/1308/71-4-19-एस-5/2015 दिनांक 03.12.2019	-	580.28
3	14/2020/413/71-4-20-एस-5/2015 दिनांक 26.03.2020	348.49	-
4	38/2020/2022/71-4-20-एस-5/2015 दिनांक 16.12.2020	662.28	178.28
5	30/2021/1/111164/2021/71-4099/1728/2019-4 दिनांक 01.11.2021		1024.27
	योग	3774.02	1782.83

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के अन्तर्गत निर्माणाधीन 500 बेडेड सुपरस्पेशियलिटी ब्लॉक

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

परिसर में श्रेणी- 05 के 100 आवासों के निर्माण कार्य हेतु अनुदान संख्या-31 से रू0 2428.49 लाख (रूपये चौबीस करोड़ अठ्ठाइस लाख उन्चास हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल शासनादेश संख्या- 38/2020/2022/71-4-20-एस-5/2015 दिनांक 16.12.2020 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों
शासनादेश संख्या- 38/2020/2022/71-4-20-एस-5/2015 दिनांक 16.12.2020 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 24,28,49,000 (रुपये चौबीस करोड़ अट्ठाईस लाख उनचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050500 रूरल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सैफई, इटावा **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
5- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या-27/2022/I/207775/2022 /001-71-4099-1728-2019, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2) कोषाधिकारी, इटावा।
3) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4) वित्त अधिकारी, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्व विद्यालय, सैफई, इटावा।
5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3।
6) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
7) प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ/इटावा।
8) संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी, चिकित्सा, शिक्षा विभाग, (चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3) उ0प्र0 शासन।
9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**